



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली  
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक : रू.वि./सम्ब. 2021-22/ 1212-14

दिनांक : 18.06.2021

सूचना

उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 1018/सत्तर-2-2020-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 17.11.2020, शासनादेश संख्या 1124/सत्तर-2-2020-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 31.12.2020, शासनादेश संख्या 350/सत्तर-2-2021-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 19.03.2021, शासनादेश संख्या 403/सत्तर-2-2021-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 26.03.2021 एवं शासनादेश संख्या 481/सत्तर-2-2021-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 06.05.2021 के क्रम में शासनादेश संख्या 556/सत्तर-2-2020-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 14.06.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में आने वाले जनपद के अर्न्तगत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी०एड० पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/ संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु आगामी शैक्षिक शिक्षा सत्र 2021-22 के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों पर कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही न हो पाने के परिणामस्वरूप शैक्षिक शिक्षा सत्र 2021-22 के लिये लम्बित सम्बद्धता के प्रस्तावों के निस्तारण हेतु विशेष परिस्थिति में शासन द्वारा सम्यक् विचारोंपरान्त निम्नवत् संशोधित समय-सारणी निर्धारित की गयी है -

क्र०	कार्यवाही	निर्धारित समय-सारणी	संशोधित समय-सारणी
1.	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 20 मई, 2021 1. अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 18 मई, तक निरीक्षण मण्डल गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा।	दिनांक 30 जून, 2021 1. अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 22 जून, तक निरीक्षण मण्डल गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा।
2	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना	दिनांक 05 जून, 2021 तक	दिनांक 15 जुलाई, 2021 तक
3	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जून, 2021 तक	दिनांक 25 जुलाई, 2021 तक
4	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 जून, 2021 तक	दिनांक 10 अगस्त, 2021 तक
5.	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 10 जुलाई, 2021 तक	दिनांक 20 अगस्त, 2021 तक

कृपया शासन द्वारा निर्धारित उपरोक्त संशोधित समय-सारणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. मीडिया प्रभारी।
3. श्री रविन्द्र गौतम, प्रभारी वेबसाइट।

कुलसचिव

कुलसचिव

प्रेषक,

श्रवण कुमार सिंह,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

2. निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,  
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,  
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,  
उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 14 जून, 2021

विषय:- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी०एड० पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने हेतु (शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिये) सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1018/सत्तर-2-2020-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 17.11.2020, शासनादेश संख्या-1124/सत्तर-2-2020-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 31.12.2020, शासनादेश संख्या-350/सत्तर-2-2021-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 19.03.2021, शासनादेश संख्या-403/सत्तर-2-2021-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 26.03.2021 एवं शासनादेश संख्या-481/सत्तर-2-2021-16(11)/2017 टी.सी. दिनांक 06.05.2021 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 17.11.2020, 31.12.2020, 19.03.2021, 26.03.2021 एवं 06.05.2021 द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी०एड० पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु शैक्षिक शिक्षा सत्र 2021-22 के लिये उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गयी है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत पूर्व निर्धारित समय-सारणी के अनुसार कार्यवाही न हो पाने के परिणामस्वरूप शैक्षिक शिक्षा सत्र 2021-22 के लिये लम्बित सम्बद्धता के प्रस्तावों के निस्तारण हेतु विशेष परिस्थिति में शासन द्वारा सम्यक् विचारोंपरान्त निम्नवत् संशोधित समय-सारिणी निर्धारित की जाती है :-

क्र०	कार्यवाही	निर्धारित समय-सारणी	संशोधित समय-सारणी
1	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 20 मई, 2021। 1. अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 18 मई, तक निरीक्षण मण्डल गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा।	दिनांक 30 जून, 2021 तक। 1. अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 22 जून, तक निरीक्षण मण्डल गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा।

2	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	दिनांक 05 जून, 2021 तक।	दिनांक 15 जुलाई, 2021 तक।
3	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जून, 2021 तक।	दिनांक 25 जुलाई, 2021 तक।
4	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 जून, 2021 तक।	दिनांक 10 अगस्त, 2021 तक।
5	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 10 जुलाई, 2021 तक।	दिनांक 20 अगस्त, 2021 तक।

कृपया उक्त समय-सारिणी के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( श्रवण कुमार सिंह )  
विशेष सचिव।

संख्या- 556/सत्तर-2-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( श्रवण कुमार सिंह )  
विशेष सचिव।